N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0122 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/06/2024 18:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 25/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 18:05 बजे **Time To (समय तक):** 15:17 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/06/2024 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/06/2024 18:56:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Near Shyam Mandir Gangapur Road, Frunt Side Vishal Exide Care, Casba Lalsot Dausa

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Meghraj Meena

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Panchuram Meena

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Bheirujya ki Dhanee, Bagadhi, Lalsot, C.P.S Jaipur, ACB DISTRICT, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Bheirujya ki Dhanee, Bagadhi, Lalsot, C.P.S Jaipur, ACB DISTRICT, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Bhaurilal Jangid		पिता:Sitaram Jangid	1. Village Rajpura Post Talavgoan,Lalsot,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 20.06.2024 को समय करीब 6.05 पी.एम. पर एसीबी मुख्यालय जयपुर द्वारा हैल्पलाईन नंबर 1064 से जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को निर्देश प्रदान किये गये कि परिवादी श्री मेघराज मीना निवासी भैरूज्या की ढाणी ग्राम बगडी से उनका हल्का पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा है। आप उनके मोबाईल नंबर पर संपर्क कर कार्यवाही करे। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के उक्त मोबाईल नंबर पर संपर्क कर वार्ता की गई तो परिवादी ने वार्ता में अपने पिता का स्वर्गवास सन् 2013 में होने पर अपनी पैतृक जमीन का नामान्तकरण अपने स्वयं व अपने भाई एवं मम्मी के नाम होने के उपरान्त अपने खसरा नं. 1299/377 जो लालसोट-सवाईमाधोपुर रोड से निकलते सुन्दरपुरा रोड पर स्थित है। उक्त खसरा का तकासमा अपने व अपने भाई श्री मीठालाल एवं अपनी मम्मी श्रीमति सुरजा देवी के नाम करवाने के लिये फाईल तैयार कर तहसील लालसोट में पटवारी को देना तथा पटवारी द्वारा तकासमा कर नामान्तकरण दर्ज करने की ऐवज में 10000/-रूपये रिश्वत की मांग करना तथा नहीं देने पर तकासमा व नामान्तकरण दर्ज नहीं करने के लिये बताया गया। इस पर परिवादी से हुई वार्तानुसार प्रकरण रिश्वत का लेन-देन का पाये जाने पर परिवादी को विभागीय अनुसार प्रार्थना पत्र देने व मांग सत्यापन करवाने बाबत बताया गया, तो परिवादी ने दिनांक 21.06.2024 को सुबह मांग सत्यापन करवाने एवं प्रार्थना पत्र देने हेतु कहा गया। इस पर दिनांक 21.06.2024 को समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी से मांग सत्यापन हेतु जरिये दूरभाष वार्ता की गई, तो परिवादी ने मांग सत्यापन हेतु स्टाफ को भिजवाने हेतु कहा गया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री दौलतराम हैड कानि0 व श्री लोकेश कुमार को अपने पास बुलाकर एंव कार्यालय का डिजिटल वाईस टेपरिकॉर्डर मय एसडी कार्ड 32 जीबी के चालू व बन्द करने की विधि समझाकर व वाईस रिकॉर्डर एंव एसडी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर मांग सत्यापन हेतु श्री लोकेश कुमार कानि0 155 को सुपर्द्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर दिये जाकर हैड कानि0 व कानि0 को जरिये सरकारी वाहन मय चालक के लालसोट के लिये रवाना कर हैड कानि0 को परिवादी से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त करने व मांग सत्यापन हेतु परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द सुपुर्दगी के सुपुर्द कर परिवादी के साथ श्री लोकेश कुमार कानि0 155 को रवाना कर बाद मांग सत्यापन मय प्रार्थना पत्र व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर हैड कानि0 व कानि0 को मय सरकारी वाहन चालक के मांग सत्यापन हेतू रवाना तहसील लालसोट जिला दौसा के लिए किया गया। इसके बाद श्री दौलतराम हैड कानि. व श्री लोकेश कुमार कानि. मय सरकारी गाडी चालक के बाद मांग सत्यापन व परिवादी का प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित कार्यालय आये व मन उप अधीक्षक पुलिस को हैड कानि0 ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व कानि0 श्री लोकेश कुमार 155 ने डिजिटल टेपरिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के पेश किया। इसके बाद श्री दौलतराम हैड कानि0 ने बताया कि हम आपके निर्देशानुसार यहां से रवाना होकर कस्बा लालसोट पंहुचकर आप द्वारा परिवादी श्री मेघराज के दिये गये मोबाईल नम्बरो पर सम्पर्क किया तो लालसोट में हमें नेहरू गार्डन के बाहर मिलना बताया इस पर हम रवाना होकर नेहरू गार्डन लालसोट के बाहर पंहुचे जहां परिवादी उपस्थित मिला जिसको सरकारी वाहन में अन्दर बिठाकर अपना व कानि. लोकेश का परिचय दिया। तत्पश्चात् आपसे हुई वार्तानुसार एक लिखित प्रार्थना पत्र परिवादी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझको पेश किया इसके बाद परिवादी को मांग सत्यापन हेतु जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर मय एसडी कार्ड के चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर वॉइस रिकार्डर के सभी फोल्डर एवं एसडी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर परिवादी के साथ मांग सत्यापन हेतु श्री लोकेश कुमार कानि. को पुरानी तहसील लालसोट जिला दौसा के लिए रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात बाद मांग सत्यापन के श्री लोकेश कुमार कानि. 155 मय परिवादी के मेरे समक्ष उपस्थित आये और बताया कि संदिग्ध आरोपी द्वारा मेरा तकासमा व नामांतरण खोलने की ऐवज में 7500/-हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर मेरे द्वारा कम करवाने पर 7000/-रूपये रिश्वत राशि लेने में सहमत होकर मुझे रिश्वत राशि लेकर सोमवार को बुलाया है। तत्पश्चात् वाईस रिकार्डर के बारे में पूछा गया तो कानि0 लोकेश कुमार ने अपने पास होना बताया। इसके बाद परिवादी ने मुझको बताया कि मेरी दुकान है जो खुली हुई है मै आज किसी भी सुरत में आपके साथ दौसा आपके कार्यालय नही चल सकता हू। मै सोमवार को सुबह समय 07.30 एएम पर रिश्वत राशि सहित आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इसके बाद मेरे द्वारा आपको जरिये दुरभाष समस्त हालात अर्ज किये गये। तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार परिवादी को लालसोट ही छोडकर वहा से रवाना

होकर दौसा कार्यालय आये। हैड कानि0 द्वारा बताई गई बातों की ताईद कानि0 लोकेश कुमार ने भी की। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे पिताजी का सन् 2013 में स्वर्गवास हो गया था, और हमारी पैतृक जमीन का नामान्तकरण मेरे, मेरे भाई श्री मीठालाल मीना एंव मेरी मम्मी श्रीमती सुरजा देवी के नाम हो गया था। इसके बाद हम हमारी जमीन के खसरा नम्बर 1299/377 जो लालसोट सवाईमाधोपुर रोड से निकलते सुन्दरपुर रोड पर है एंव जिसमें मैने मेरा मकान बना रखा है उस खसरे का हम दोनों भाई एंव मेरी मम्मी द्वारा तकासमा करवाने के लिए पत्रावली तैयार कर हम तीनों हमारे हल्का पटवारी श्री भौरीलाल जागिंड से दिनांक 15.06.2024 को मिले और उनको तकासमा करवाने के लिए पत्रावली दी तो पटवारी जी ने मेरे से हमारा तकासमा व नामान्तकरण करने के लिए 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की। मैने पटवारी को कहा कि साहब हम तो गरीब आदमी है और हमारा जायज काम है पैसे किस बात के, तो पटवारी ने मुझे कहा की अगर आपको आपकी जमीन का तकासमा व नामान्तकरण दर्ज करवाना है तो 10,000 रूपये देने ही पडेगे नही तो आपका तकासमा व नामान्तकरण नहीं होगा। मै हमारे जायज काम के लिए पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हू और उसे रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हू। मेरी पटवारी जी से कोई रंजिश दुश्मनी व उधार का लेन देन बाकि नही है। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री लोकेश कुमार कानि. द्वारा पेश किये गये वाईस रिकॉर्डर को चालूकर सुना गया तो उसमें आई वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से उसकी जमीन का तकासमा व नामान्तकरण दर्ज करने की एवज में 7500/-रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने पर 7,000 रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत होकर परिवादी को रिश्वत राशि लेकर सोमवार को बुलाना स्पष्ट रूप से पाया गया। वाईस रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में लॉक किया गया । तत्पश्चात् समय करीब 8.05 पी.एम. पर पूर्व के पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान को जरिये दूरभाष वार्ता कर दिनांक 24.06.2024 को समय 7.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। इसके बाद दिनांक 24.06.2024 को समय करीब 7.30 ए.एम. पर पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामदयाल शर्मा, अति. विकास अधिकारी एवं श्री नरेन्द्र कुमार मीना, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद दौसा कार्यालय में उपस्थित आये, जिनसे परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी-अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् समय करीब 8.00 ए.एम. पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री मेघराज मीना कार्यालय में उपस्थित आया। जिससे संदिग्ध आरोपी पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि बाबत पूछा तो अपने साथ लाना बताया। तत्पश्चात परिवादी से मांग सत्यापन बाबत पूछा तो बताया कि मुझे आपके स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि. ने मेरे से कस्बा लालसोट पहुंचकर मेरे से मोबाईल पर वार्ता की तो मैंने उनको नेहरू गार्डन पर बुलाया, इस पर दौलतराम हैड कानि. व श्री लोकेश कुमार मय गाडी के नेहरू गार्डन लालसोट पर मिले। जिन्होने मेरे से परिचय कर मेरे से कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र चाहा, तो मैंने अपना हस्तलिखित प्रार्थना पत्र उनको पेश किया। तत्पश्चात् उन्होने मुझे जरिये फर्द डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू व बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मेरे साथ श्री लोकेश कुमार कानि. को मांग सत्यापन हेतु पुरानी तहसील लालसोट रवाना किया गया, तो हम दोनों वहां से रवाना होकर पुरानी तहसील लालसोट पहुंचे, जहां पर लोकेश कुमार तो तहसील के बाहर ही रूक गया एवं मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपी भौरीलाल जांगिड पटवारी के पास तहसील में गया तो तहसील में मुझे मेरे मिलने वाले श्री कमलेश भी मिल गये, इसके बाद मैं और कमलेश दोनों पटवारी जी के पास उनके कक्ष में गये तो पटवारी जी हमें अपने कक्ष में मुझे कार्य करते हुए मिले, जिनको मैंने अपने कार्य तकासमा व नामान्तकरण बाबत वार्ता की, तो उन्होंने मुझसे मेरा उक्त कार्य करने की ऐवज में 7500 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। फिर मेरे द्वारा कम करवाने पर 500रू. कम करते हुए 7000 रूपये लेने में सहमत होकर दि. 24.06.2024 को बगडी मेरी दुकान पर आने के लिये कहा। इसके बाद कमलेश तहसील के बाहर रूक गया तथा मैं वहां से रवाना होकर लोकेश कुमार कानि. के पास आया, जिनको वॉईस रिकॉर्डर पेश किया, तो उन्होने बंद करके अपने कब्जे में लिया। तत्पश्चात् मैंने ये सभी बातें लोकेश कुमार को बताई। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर श्री दौलतराम हैड कानि. के पास आये व उनको भी ये बाते बताई। तत्पश्चात् दौलतराम जी ने जरिये दूरभाष आपसे वार्ता की। इसके बाद मुझे अपने घर पर कार्य होने के कारण मैं अपने घर चला गया तथा लोकेश कुमार व दौलतराम जी आपके कार्यालय के लिये रवाना हो गये। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया एवं परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का पुनः अवलोकन कर मजीद दरियाफ्त की गई, तो परिवादी ने अपनी मजीद दरियाफ्त में स्वयं को दसवीं तक पढा-लिखा होना एवं उक्त प्रार्थना पत्र अपना हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाह सर्व श्री रामदयाल शर्मा अति0 विकास अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार मीना सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद दौसा का परिवादी श्री मेघराज मीना से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 21.06.2024 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने स्वयं का दसवीं तक पढा लिखा होना एंव उक्त प्रार्थना पत्र अपना हस्त लिखित होना एंव उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी तथा

संदिग्ध आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड पटवारी, पटवार हल्का बगडी, तहसील लालसोट जिला दौसा के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकॉर्डर में दिनांक 21.06.2024 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दौनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड पटवारी, पटवार हल्का बगडी, तहसील लालसोट जिला दौसा व अपने मिलने वाले श्री कमलेश की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री मेघराज मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु चार डीवीडी खाली मगंवाई जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी-बारी चार डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर चारों डीवीडी पर मार्क- aaA-1, A-2, A-3, A-4,अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री मेघराज मीना के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क aaA-1, A-2, A-3, को प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित प्रत्येक डीवीडी को अलग-अलग एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क aa A-1, A-2, A-3, अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एचएम मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा डीवीडी मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री रामदयाल शर्मा अति0 विकास अधिकारी एंव श्री नरेन्द्र कुमार मीना सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद दौसा के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मेघराज मीना को संदिग्ध आरोपी श्री भौरीलाल जागिड पटवारी को दी जाने वाली रिष्वत राषि पेष करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 14 नोट कुल 7,000/-रू0 निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। उक्त नोटों का अंकन फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में कर पेश शुदा नोटों पर श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 7,000 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मेघराज मीना की जामा तलाशी गवाह श्री नरेन्द्र कुमार मीना से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 7,000/-रू. के नोट श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बॉई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा टै्रप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एस.डी. कार्ड 32 जीबी आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात् समय करीब 10.15 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री मेघराज मीना व स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री दौलतराम हैड कानि0, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश चन्द कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप,

प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट व सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही पुरानी तहसील लालसोट जिला दौसा के लिए रवाना होकर समय करीब 11.30 एएम पर दशहरा मैदान, लालसोट पर पहुंचे, जहां पर वाहनों को दशहरा मैदान में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को डिजिटल टेपरिकॉर्ड चालू करने की मूनासिब हिदायत कर उसके कार्य के लिए संदिग्ध आरोपी श्री भौरीलाल जागिड पटवारी के पास पूरानी तहसील लालसोट जिला दौसा के लिए रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर पुरानी तहसील लालसोट के आस पास खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय करीब 1.00 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मेघराज मीना बिना कोई ईशारा किये हुये ही पुरानी तहसील लालसोट जिला दौसा से बाहर निकलकर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया एंव डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि साहब मै आपके निर्देशानुसार श्री भौरीलाल जागिड पटवारी के पास मेंरे कार्य जमीन का तकासमा व नामान्तकरण दर्ज करवाने के सम्बन्द में वार्ता करने व उसके द्वारा तय शुदा रिश्वत राशि देने हेतु पुरानी तहसील लालसोट में गया तो तहसील में मुझे मेरे मिलने वाला कमलेश भी मिल गया, इस पर हम दोनों पटवारी जी के कक्ष में गये तो पटवारी जी हमे अन्य पटवारी के साथ अपने कमरे में कार्य करते हुये बैठे मिले, जिनसे मैने मेरे कार्य बाबत वार्ता की तो पटवारी जी ने मुझे कहा कि कल मै बगडी आपके वही दुकान पर आ रहा हू वही कर लेगें और मेरे से कोई ज्यादा वार्ता नहीं की। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने समस्त स्टाफ को वहा से पैदल-पैदल ही लेकर दशहरा मैदान पर आया। इसके बाद दोनों गवाहान के सामने परिवादी की उपस्थिति में मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा रिश्वती राशि लेन-देन के समय हुई वार्ता जो विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त वॉईस रिकार्डर को चालूकर सुना गया तो आरोपी पटवारी द्वारा दिनांक 25.06.2024 को उसकी दुकान बगडी पर ही आने के लिये कहना स्पष्ट रूप से पाया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद परिवादी व संदिग्ध आरोपी पटवारी के मध्य हुई वार्ता से आरोपी द्वारा दिनांक 24.06.2024 को परिवादी से रिश्वत राशि नही लेने व दिनांक 25.06.2024 को उसकी दुकान पर आकर लेने के लिए कहने के कारण ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही होने पर ट्रेप बाक्स से श्री मुकेशचन्द कानि0 101 से एक खाकी खाली लिफाफा निकलवाकर परिवादी से संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली पाऊडर युक्त रिश्वत राशि 7,000 रूपये उस लिफाफे में रखवाकर राशि लिफाफे सहित श्री मुकेशचन्द कानि0 के पास सुरक्षित रखवाई गई एवं परिवादी को दिनांक 25.06.2024 को बस स्टैण्ड बगडी से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगडी पर मिलने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व स्टाफ सदस्यों के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं साजो सामान के प्राईवेट व सरकारी वाहन से दशहरा मैदान लालसोट से एसीबी चौकी दौसा के लिये रवाना हुआ। समय करीब 5.10 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी कार्यालय दौसा पर पहुंचा। जहां पर ट्रेप बाक्स को मालखाने में रखवाया जाकर रिश्वत राशि पाऊडर युक्त 7,000 रूपये जो परिवादी से एक खाली खाकी लिफाफे में रखवाकर श्री मुकेशचन्द कानि0 101 के पास रखवाई गई थी को भी श्री मुकेशचन्द कानि0 से दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने श्री बनवारीलाल एचएम मालखाना के मार्फत सुरक्षा की दृष्टि से मय लिफाफे के मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाई रखने एवं दिनांक 25.06.2024 को समय 8.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 25.06.2024 को समय 8.00 ए.एम. पर पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये तत्पश्चात् दोनों दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने श्री बनवारीलाल एचएम मालखाना से मालखाने में दिनांक 24.06.2024 को श्री मुकेश चन्द कानि. 101 के मार्फत संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 7000/-रूपये मय लिफाफे के सुरक्षा की दृष्टि से रखवाई गई थी, को मालखाने से मय लिफाफे के निकलवाकर श्री मुकेश चन्द कानि. को दिलवाकर उसके पास परिवादी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगडी पहुंचकर देने वास्ते रखवाई गई। इसके बाद समय करीब 8.30 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री दौलतराम हैड कानि0, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश चन्द कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वॉई रिकार्डर, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट व सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय करीब 10.00 ए.एम. पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगडी के नजदीक पहुचे, जहां पर परिवादी श्री मेघराज मीना उपस्थित मिला, जिसको वाहन में बैठाया जाकर वहां से रवाना होकर बस स्टैण्ड बगडी परिवादी की दुकान के नजदीक पहुंचे, जहां पर वाहनों को बस स्टैण्ड पर मैन रोड पर साईड में भीड भाड वाली जगह खडा करवाकर परिवादी को श्री मुकेश चन्द कानि. 101 के पास रखवाई गई रिश्वती राशि 7000/-रूपये को लिफाफे से बाहर निकलवाई जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रखवाया गया एवं डिजिटल टेपरिकॉर्डर सुपुर्द कर चालू करने की मुनासिब हिदायत कर आरोपी के आने का इन्तजार करने के लिये उसकी दुकान पर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के दुकान के आस-पास इधर-उधर मौके के अनुसार खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे तथा श्री मुकेश चन्द कानि. को बस स्टैण्ड लालसोट पर रूकने के लिये रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 2.05 पीएम पर मन् उप

अधीक्षक पुलिस ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने संदिग्ध आरोपी पटवारी का काफी इन्तजार करने के उपरान्त भी परिवादी की दुकान पर नहीं आने पर परिवादी को अपने समक्ष बुलाकर आरोपी पटवारी से उसके मोबाईल पर वार्ता करने बाबत कहा, तो परिवादी ने अपने मोबाईल नंबर का स्पीकर ऑन कर आरोपी के मोबाईल नंबर पर वार्ता की तो आरोपी ने परिवादी को श्री हनुमान सैनी को बोलने व उससे मिलने के लिये कहा। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री मेघराज मीना ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने बताया कि साहब मैंने पटवारी जी के कहे अनुसार श्री हनुमान सैनी से उसके मोबाईल पर वार्ता की तो हनुमान सैनी ने मेरे को कहा कि मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मैं गंगापुर रोड पर श्याम मंदिर के नजदीक विशाल एन्टरप्राईजेज एक्साइड केयर की दुकान पर इन्वर्टर बैटरी खरीद रहा हूं, आप यहीं आ जाओ पटवारी से मेरी वार्ता हुई है वो यही आ रहा है, आप स्वयं उससे अपने काम के लिये वार्ता कर लेना। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री मेघराज मीना, स्टाफ सदस्यों मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वॉइर्स रिकार्डर, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट व सरकारी वाहन से बगडी बस स्टैण्ड से रवाना होकर गंगापुर रोड श्याम मंदिर के नजदीक दुकान विशाल एक्साइड केयर, कस्बा लालसोट के पास पहुंचा। जहां पर दोनों वाहनों को मैन रोड पर साईड में भीड भाड वाली जगह खडा करवाकर परिवादी को डिजिटल टेपरिकॉर्ड चालू करने की मुनासिब हिदायत कर आरोपी के पास दुकान विशाल एक्साइड केयर पर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर उक्त दुकान के आस-पास इधर-उधर मौके के अनुसार खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात् समय करीब 3.17 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मेघराज मीना ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को गंगापुर रोड, कस्बा लालसोट में श्याम मंदिर के पास स्थित दुकान विशाल एक्साइड केयर के सामने मैन रोड पर खडा होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईषारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनों गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पष्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देषानुसार श्री भौरीलाल जांगिड पटवारी के पास उनके कहे अनुसार गंगापुर रोड, कस्बा लालसोट में श्याम मंदिर के पास स्थित दुकान विशाल एक्साइड केयर के पास गया तो आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड पटवारी मुझे अपनी मोटरसाईकिल के साथ खडा हुआ मौजूद मिला, जिसको मैंने मेरे तकासमा व नामान्तकरण बाबत कहा तो पटवारी ने मुझे अपनी तयशुदा रिश्वती राशि 7000 रूपये देने के लिये कहा और कहा कि आप तो पैसे दो, आपका काम अगले मंगलवार-बुधवार तक हो जायेगा। इसके बाद मैंने उनकी मांग के अनुसार अपनी जेब से पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 7,000 रूपये निकालकर उनको दिये तो उन्होने अपने दाहिने हाथ की चूंटी से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट के सामने की बांयी जेब में रख लिये और मुझे कहा कि आपका काम हो जायेगा। इसके बाद मैंने आपको मुकर्रर ईशारा कर दिया और फिर अपने पास मोटरसाईकिल पर बैठे पेन्ट शर्ट पहने हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही भौरीलाल जांगिड पटवारी है जिन्होने मेरे से अपनी तय शुदा रिश्वत राशि 7000/-रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री भौरीलाल जांगिड पुत्र श्री सीताराम जांगिड, जाति खाती, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा, पो. तलावगांव, तह. लालसोट, जिला दौसा हाल निवासी तालेडा जमात, लालसोट, जिला दौसा हाल पटवारी पटवार हल्का बगडी, तह. लालसोट, जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात् श्री भौरीलाल जांगिड पटवारी से परिवादी श्री मेघराज मीना से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 21.06.2024 को उसकी पैतृक जमीन खसरा नंबर 1299/377 का तकासमा कर नामान्तकरण दर्ज करने की ऐवज में 7500/-रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने पर 7000/-रूपये लेने के लिये सहमत होकर आज वर वक्त ट्रेप कार्यवाही लेन-देन के समय अपनी मांग अनुसार उक्त कार्य करने की ऐवज में मांग कर प्राप्त किये गये 7,000/-रूपये रिश्वत राशि बाबत पूछा तो श्री भौरीलाल जांगिड पटवारी ने बताया कि दिनांक 21.06.2024 को श्री मेघराज मीना पुरानी तहसील लालसोट में मेरे कक्ष में आया और मुझे अपनी पैतृक जमीन खसरा नंबर 1299/377 का तकासमा अपने स्वयं, अपने भाई श्री मीठालाल एवं अपनी मम्मी श्रीमति सुरजा देवी के नाम कर नामान्तकरण दर्ज करने के लिये कहा था, लेकिन मैंने इनसे उक्त कार्य के लिये कोई रिश्वत की मांग नहीं की। मेघराज ने ही मुझे उक्त कार्य के लिये 7000/-रूपये देने के लिये कहा था। इसके बाद ये दिनांक 24.06.2024 को मेरे पास पुनः पुरानी तहसील लालसोट पर आया और अपने उक्त कार्य के लिये वार्ता की तो मैंने इनको आज दिनांक 25.06.2024 को इनकी दुकान पर आने के लिये ही कहा था। आज मैं मेघराज से हुई वार्तानुसार बगडी गया था, लेकिन कोई जरूरी कार्य होने पर मैं मेघराज मीना से नहीं मिल सका और वापस पुरानी तहसील लालसोट पर आ गया। इसके बाद आज दिनांक 25.06.2024 को समय करीब 2.05 पी.एम पर श्री मेघराज मीना ने अपने मोबाईल नंबर से मेरे मोबाईल नंबर वार्ता कर मिलने के लिये कहा तो मैंने उनको श्री हनुमान सैनी से मिलने बाबत कहा। इसके कुछ समय बाद मैंने हनुमान सैनी से जरिये दूरभाष वार्ता की तो हनुमान सैनी ने मुझे कहा कि आप एक घण्टे बाद गंगापुर रोड, श्याम मंदिर

के पास स्थित दुकान विशाल एक्साइड केयर के सामने आ जाना मेघराज भी वहीं आ रहा है। इसके बाद मैं उक्त दुकान पर गया तो समय करीब 3.00 पी.एम. पर मेरे पास मेघराज मीना उक्त दुकान के सामने आया, तब श्री हनुमान सैनी भी वहीं था। तत्पश्चात् मेघराज मीना ने मुझे अपना तकासमा कर नामान्तकरण दर्ज करने के लिये कहा तो मैंने इनको 6-7 दिन में करने के लिये कहा, तब इन्होने 7000/-रूपये जबरदस्ती मेरी शर्ट की जेब में रख दिये, जो मेरी शर्ट की जेब में ही है। मैंने इनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं की। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी पटवारी भौरीलाल जांगिड को पूछा कि जब परिवादी ने आपकी जेब में जबरदस्ती 7000/-रूपये रख दिये तो आपने उक्त रूपयों को बाहर क्यों नहीं निकाले एवं परिवादी को वापस क्यों नहीं दिये। इस पर आरोपी पटवारी चुप रहा एवं कुछ नहीं बोला। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि साहब पटवारी जी झूठ बोल रहे है, इन्होने दिनांक 21.06.2024 को मांग सत्यापन के दौरान मेरी पैतृक जमीन खसरा नंबर 1299/377 का तकासमा मेरे, मेरे भाई मीठालाल व मेरी मम्मी श्रीमति सुरजा देवी के नाम कर नामान्तकरण दर्ज करने की ऐवज में 7500/-रूपये की रिश्वत की मांग कर मेरे द्वारा कम करवाने पर 7000/-रूपये लेने में सहमत होकर मेरे को रिश्वती राशि सहित दिनांक 24.06.2024 को बुलाया था। मैं दिनांक 24.06.2024 को इनके कहे अनुसार रिश्वत राशि लेकर इनके पास पुरानी तहसील पर आया, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं कल आपके वहीं आ रहा हूं, वहीं कर लेगें। इसके बाद आज जब ये मेरी दुकान बगडी पर नहीं आये तो मैंने इनसे मेरे मोबाईल से इनके मोबाईल पर वार्ता की तो इन्होने मुझे हनुमान सैनी से मिलने के लिये कहा, इस पर मैंने हनुमान सैनी से जरिये दूरभाष वार्ता की तो हनुमान सैनी ने मुझे कहा कि मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैं गंगापुर रोड पर श्याम मंदिर के नजदीक विशाल एन्टरप्राईजेज एक्साइड केयर की दुकान पर इन्वर्टर बैटरी खरीद रहा हूं, आप यहीं आ जाओ पटवारी से मेरी वार्ता हुई है वो यही आ रहा है, आप स्वयं उससे अपने काम के लिये वार्ता कर लेना। इसके बाद मैं गंगापुर रोड, श्याम मंदिर के पास स्थित दुकान विशाल एक्साइड केयर के सामने पहुंचा तो मुझे श्री हनुमान सैनी व पटवारी जी श्री भौरीलाल जांगिड अपनी मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिले। इसके बाद मैंने पटवारी जी को हमारा तकासमा कर नामान्तकरण दर्ज करने के लिये कहा तो पटवारी जी ने मुझे अपनी तयशुदा रिश्वती राशि 7000 रूपये देने के लिये कहा और कहा कि आप तो पैसे दो, आपका काम अगले मंगलवार-बुधवार तक हो जायेगा। इसके बाद मैंने उनकी मांग के अनुसार अपनी जेब से पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 7,000 रूपये निकालकर इनको दिये तो इन्होने अपने दाहिने हाथ की चूंटी से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट के सामने की बांयी जेब में रख लिये और मुझे कहा कि आपका काम हो जायेगा। तत्पश्चात् मौके पर काफी भीड भाड होने एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने को मध्यनजर रखते हुए आरोपी श्री भौरीलाल पटवारी के दोनों हाथों को स्टाफ सदस्यों को पकडने बाबत कहा, तो आरोपी का दाहिनी हाथ श्री लोकेश कुमार कानि. ने एवं बांया हाथ श्री राकेश कुमार कानि. ने कलाई के उपर से अलग-अलग पकड लिये। तत्पश्चात् आरोपी के दोनों हाथों को पकडे-पकडे ही आरोपी को सरकारी वाहन में बैठाया गया एवं साथ में स्टाफ सदस्यों एवं दोनों गवाहान को तथा प्राईवेट वाहन में शेष स्टाफ व परिवादी को बैठाया जाकर तथा आरोपी की मोटरसाईकिल को स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि. द्वारा साथ लेकर मौके से रवाना होकर पुलिस थाना लालसोट पहुंचा। जहां पर आरोपी को थानाधिकारी लालसोट के कक्ष में बैठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पष्चात् थानाधिकारी के कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से एक साफ प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर दो प्लास्टिक के साफ डिस्पोजलो गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में श्री भौरीलाल जागिड पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों ही हाथों की अंगुलियों के धोवन का रंग गदमैला हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर दोनों ही गिलासों के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् श्री भौरीलाल जागिड पटवारी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब की जामा तलाशी गवाह श्री रामदयाल शर्मा से लिवाई गई तो श्री भौरीलाल जागिड पटवारी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई की जेब में कुछ रूपये होना बताया जिनको गवाह श्री रामदयाल शर्मा से बाहर निकलवाकर दोनों गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट के नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो गवाह श्री रामदयाल शर्मा ने आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब से कुछ रूपये निकालकर 500-500 रूपये के 14 नोट कुल 7,000 रूपये होना व दोनों गवाहान ने नोटों के नंबरों का मिलान कर फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी के कहे अनुसार उसके मिलने वाले से एक टी-शर्ट मंगवाकर आरोपी श्री भौरीलाल जागिड पटवारी की उक्त शर्ट बैरगं हल्का हरा, जिसकी सामने की बाई जेब में रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी गई थी एंव जो उक्त जेब से बरामद हुई। उक्त शर्ट को शालीनता पूर्वक आरोपी श्री भौरीलाल जागिड के बदन से उतरवाया जाकर मंगवाई गई टी-शर्ट पहनाई गई। तत्पश्चात् एक अन्य साफ प्लास्टिक के साफ डिस्पोजल गिलास में पूर्व की भॉति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त शर्ट की सामने की

बांयी जेब, जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया जाकर धोवन लिया गया तो, धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पष्चात् उक्त डिस्पोजल गिलास के धोवन को दो अन्य साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क S-1 व S-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई तथा उक्त शर्ट बैरंग हल्का हरा की सामने की बांयी जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, को सुखाकर उसकी जेब पर लाल पैन का गोला कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शर्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क S अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात् परिवादी से प्राप्त वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व श्री भौरीलाल जांगिड पटवारी के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई। इसके बाद जरिये दूरभाष श्री मुकेशचन्द कानि. को पुलिस थाना लालसोट पर तलब किया गया। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका जरिये फर्द कशीद कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा को तलब कर आरोपी के कक्ष पुरानी तहसील लालसोट की जरिये फर्द ली गई खाना तलाशी एवं परिवादी के कार्य खसरा नंबर 1299/377 के तकासमा से संबंधित पत्रावली की फोटोप्रति प्रमाणित करवाकर जरिये फर्द जब्त की गई। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाह सर्व श्री रामदयाल शर्मा, अति0 विकास अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद दौसा व श्री नरेन्द्र कुमार मीना, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद दौसा एवं परिवादी श्री मेघराज मीना के समक्ष परिवादी श्री मेघराज मीना व आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड, पटवारी पटवार हल्का बगडी, तह. लालसोट, जिला दौसा के मध्य दिनांक 24.06.2024 व दिनांक 25.06.2024 को रूबरू एवं मोबाईल पर रिष्वत राशि लेन-देन से संबंधित हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द-ब-षब्द समझ आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं में आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड पटवारी की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज एवं श्री हनुमान सैनी की आवाज की पहचान परिवादी श्री मेघराज मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ताओं की डीवीडी बनाने हेतु ट्रेप बॉक्स से चार खाली डीवीडी ली जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से चार डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर डीवीडी पर मार्क- B-1, B-2, B-3 व B-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री मेघराज मीना के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क B-1, B-2, व B-3 को अलग-अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर कवर सहित डीवीडी मार्क B-1, B-2, व B-3 को अलग-अलग सफेद कपडे़ की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क B-1, B-2, व B-3 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा डीवीडी मार्क B-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड सनडिस्क 32जीबी को जरिये फर्द पृथक से जब्त कर बाद हस्ताक्षर फर्द शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद फर्द प्राप्ती नमूना आवाज आरोपी एवं फर्द पहचान आवाज आरोपी तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड, पटवारी पटवार हल्का बगडी, तह. लालसोट, जिला दौसा को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राससील नम्बर-45 को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। आरोपी की मोटरसाईकिल को जरिये फर्द सुपुर्दगी के सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस बाद ट्रेप कार्यवाही मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मय गिरफतारशुदा आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड पटवारी जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर प्राईवेट एवं सरकारी वाहनों के पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा पहुचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा शीशीयॉं व जब्त शुदा रिश्वती राषि नम्बरी 7,000/-रूपये को जमा मालखाना करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड पुत्र श्री सीताराम जांगिड, जाति खाती, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा, पो. तलावगांव, तह. लालसोट, जिला दौसा हाल निवासी तालेडा जमात, लालसोट, जिला दौसाहाल पटवारी पटवार हल्का बगडी, तह. लालसोट, जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री मेघराज मीना पुत्र श्री पॉचूराम मीना उम्र 34 साल जाति मीना निवासी ग्राम बगडी बैरूज्या की ढाणी तहसील लालसोट जिला दौसा से उसकी पैतृक जमीन खसरा नंबर 1299/377 का तकासमा परिवादी, परिवादी के भाई मीठालाल व परिवादी की मम्मी श्रीमति सुरजा देवी के नाम कर नामान्तकरण दर्ज करने की ऐवज में मांग सत्यापन के दौरान 7500/-रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के द्वारा कम करवाने पर 7000/-रूपये लेने में सहमत होकर अपनी मांग के अनुशरण में आज दिनांक 25.06.2024 को वर वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी से मांग कर अपने दाहिनी हाथ की चुंटी से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखना एवं उक्त रिश्वती

राशि 7000/-रूपये आरोपी की शर्ट की सामने की बांयी जेब से बरामद होना अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड पुत्र श्री सीताराम जांगिड, जाति खाती, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा, पो. तलावगांव, तह. लालसोट, जिला दौसा हाल निवासी तालेडा जमात, लालसोट, जिला दौसाहाल पटवारी पटवार हल्का बगडी, तह. लालसोट, जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेषक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (नवल किशोर) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में आरोपी श्री भौरीलाल जांगिड पुत्र श्री सीताराम जांगिड, निवासी ग्राम राजपुरा, पो. तलावगांव, तह. लालसोट, जिला दौसा हाल निवासी तालेडा जमात, लालसोट, जिला दौसा हाल पटवारी पटवार हल्का बगडी, तह. लालसोट, जिला दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री नीरज भारद्वाज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 420 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 625-28 दिनांक 26.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर। 2 जिला कलक्टर, दौसा। 3 पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NEERAJ BHARDWAJ **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/06/2024 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	13/06/1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)